राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार बीदासर

संख्या 90/2018 दायरा दिनांक 05-10-2018

पीठासीन अधिकारी
श्री ओमप्रकाश वर्मा
आरटीएस
तहसीलदार बीदासर

राजस्थान सरकार बनाम पटवारी पटवार मण्डल घंटियाल बड़ी
प्रार्थी.................

बनाम

जगदीशनाथ पुत्र मुकननाथ जाति सिद्ध नि. घंटियाल बड़ी
अप्रार्थी.............

निर्णय दिनांक 25.01.2019

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है, पटवारी पटवार मण्डल घंटियाल बड़ी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी जगदीशनाथ पुत्र मुकननाथ जाति सिद्ध नि. घंटियाल बड़ी ने रोही ग्राम घंटियाल बड़ी के खसरा नं. 150 किस्म गै. मु. गोचर रकबा 3.2627 हैक्टर में से 235X10 वर्ग फीट भूमि पर कातले गाड़कर नाजायज अतिक्रमण कर लिया है। अप्रार्थी को धारा 91 एल आर एक्ट के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया एवं भु.अ.निरीक्षक दुंकर को कुर्की आदेश जारी किया गया। अप्रार्थी नीयत तारीख पेशी दिनांक 03.01.2019 को अनुपस्थित रहा और दिनांक 24.01.2019 को जवाब प्रस्तुत किया जिसमें बताया मैंने किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं हुआ है। भु. अ. निरीक्षक दुंकर ने अपनी कुर्की रिपोर्ट में बताया कि अप्रार्थी द्वारा स्वयं अतिक्रमण हटा लिया है तथा कुर्की किया जाना संभव नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन करने एवं पटवारी पटवार मण्डल घंटियाल बड़ी के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट नकल एक्स, जमाबन्दी व पी 14 से स्पष्ट है कि अप्रार्थी जगदीशनाथ पुत्र मुकननाथ जाति सिद्ध नि. घंटियाल बड़ी ने रोही ग्राम घंटियाल बड़ी के खसरा नं. 150 किस्म गै. मु. गोचर रकबा 3.2627 हैक्टर में से 235X10 वर्ग फीट भूमि पर कातले गाड़कर नाजायज अतिक्रमण कर लिया है। नियमानुसार अप्रार्थीगुण को अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा पटवारी पटवार हल्का घंटियाल बड़ी को आदेशित किया जाता है कि आप अप्रार्थीगण से शरह पड़ता लगान ग्राम घंटियाल बड़ी 00.50 रू प्रति बीघा की दर का 50 गुणा राशि अतिक्रमित भूमि 0.10 बीघा की राशि 05/– पॉच रूपये वसूल करें तथा तहसील राजस्व लेखाकार मांग कायमी करना सुनशिचित करें।

निर्णय आज दिनांक 25.01.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर से जारी किया गया एवं सरे इजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
आरटीएस
तहसीलदार बीदासर

उक्त मांग कायमी रा.ले. 4 के पृष्ठ संख्या 11 पर कर ली गई है।
तहसील राजस्व लेखाकार
बीदासर